<u>खण्ड-1</u>

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(सामान्य-I अनुभाग)

संचार भवन, 20, अशोक रोड,
नई दिल्ली- 110001, दिनांकः 10.02.2017

ई-निविदा सं. 52-3/2016-G-I
हाउस कीपिंग सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने की नोटिस (NIT)

ई-निविदा नोटिस

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-01 तथा एमटीएनएल भवन, छठी मंजिल, ओल्ड मिंटो रोड, नई दिल्ली स्थित दूरसंचार विभाग के कार्यालय में हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ जनशक्ति वाली कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से दो बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यह संविदा आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। तथापि, दूरसंचार विभाग की आवश्यकता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा किए जाने पर इस संविदा को बाद में पारस्परिक सहमति होने पर, और समान सेवा-शर्तों पर एक वर्ष की अवधि, जो एक बार छः माह से अधिक नहीं होगी, तक बढ़ाई जा सकती है।

2. इच्छुक कंपनियां/फर्म/एजेंसियां दिनांक 13.02.2017 (1000 बजे) से 07.03.2017 (15.00 बजे तक) के बीच दूरसंचार विभाग की वेबसाइट *www.dot.gov.in* अथवा *http://eprocure/gov.in* से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकती है। निविदा शुल्क राशि के रूप में भुगतान एवं लेखाधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली-110001 के पक्ष में नई दिल्ली में देय किसी अनुसूचित बैंक का 500/- रु. का रेखांकित संलग्न होना चाहिए।

3. इच्छुक कंपनियां/फर्म/एजेंसियां निर्धारित प्रारूप में दो बोली प्रणाली {यथा - (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली} के तहत *http://eprocure/gov.in/eprocure/app* पर निविदाओं को आनलाइन जमा कर सकती है। निविदाओं को ई-प्रापण पोर्टल *http://eprocure/gov.in/eprocure/app* के माध्यम से केवल आनलाइन जमा करना है। पात्रता मानकों के समर्थन में सभी दस्तावेजों को भी स्कैन करके निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई निविदाओं को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि और समय के समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई निविदा दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. ई-निविदा की समय-सारणी निम्नानुसार है-

क.	**बोली दस्तावेज जारी होने/प्रकाशित होने की तिथि और समय**	:	**13.02.2017 (10.00 बजे) से 07.03.2017 (15.00 बजे)**
ख.	**बोली के आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि :**	:	**07.03.2017 को 15.00 बजे**
ग.	**ईएमडी को कार्यालय में जाकर जमा करना**	:	**07.03.2017 को (15.00 बजे) तक**
घ.	**तकनीकी बोली खुलने की तिथि, समय और स्थान**	:	**08.03.2017 को (15.30 बजे)**
ङ.	**वित्तीय बोली खुलने की तिथि और समय**	:	**बाद में निर्धारित किया जाएगा और तकनीकी बोली में सफल तकनीकी रूप से अर्ह बोलीदाता को सूचित किया जाएगा।**
च.	**अनुमानित लागत**	:	**1 करोड़ रूपए (लगभग)**
छ.	**बोली वैधता अवधि**	:	**निविदा खुलने की तिथि से 120 दिन तक (विभाग के पास,यदि अपेक्षित हो, वैधता अवधि को बढ़ाने का अधिकार है)**

5. भुगतान एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में 2,00,000/- रु. (दो लाख रु. मात्र) की बयाना जमा राशि को दिनांक 07.03.2017 (15.00 बजे) तक अवर सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में ईएमडी जमा न किए जाने की स्थिति में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी विलंब से प्राप्त होना अर्थात आनलाइन बोली समय के समाप्त होने के उपरांत, बोलीदाता को अयोग्य बना देगा और उस बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि बोली ईएमडी के बिना प्राप्त होती है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे फौरन रद्द कर दिया जाएगा।

6. बोलीदाता द्वारा ईएमडी (2,00,000/- रु.) और निविदा शुल्क (500/- रु.) के लिए मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक को अवर सचिव (दूरसंचार), कमरा सं. 511, संचार भवन को 07.03.2017 (15.00 बजे) तक आफ-लाइन जमा किया जाएगा। तथापि, डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की स्कैन की हुई प्रति को अन्य दस्तावेजों के साथ तकनीकी बोली के भाग के रूप में आनलाइन जमा किया जाएगा।

7. तकनीकी बोली को इस विभाग की निविदा खोलने वाली समिति द्वारा 08.03.2017 को 15.30 बजे आनलाइन खोला जाएगा प्रथमतया, तकनीकी बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण में, केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिन्होंने तकनीकी बोली चरण में अर्हता प्राप्त की है और इसके लिए तिथि व समय की सूचना बाद में दी जाएगी। वित्तीय बोली का मूल्यांकन करने के उपरांत निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) के सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तुलनात्मक विवरण के साथ चयन की जाने वाली न्यूनतम प्रभावी बोली के संबंध में अपनी विशिष्ट सिफारिशें देगी।

8. निविदा को भारत सरकार के सत्यानिष्ठा समझौता कार्यक्रम के तहत कवर किया जाता है और संभावित बोलीदाताओं से सत्यानिष्ठा समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना तथा बोली के साथ इसे दूरसंचार विभाग में जमा करना अपेक्षित है।

9. दूरसंचार विभाग के सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निविदा को निरस्त करने अथवा निविदा दस्तावेज में निहित किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों को संशोधित करने/हटाने का अधिकार है।

10. दूरसंचार विभाग के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(ANIL KUMAR SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
Deptt. of Telecom, Govt. of India
New Delhi

(ए. के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
संचार मंत्रालय, कमरा सं. 511,
संचार भवन, 20 अशोक रोड नई दिल्ली-110001